संख्या- 735/33-3-2022-116/2020

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,
अपर मुख्य सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में ,

समस्त जिलाधिकारी/ अध्यक्ष, जिला स्वच्छता समिति ,
उत्तर प्रदेश ।

पंचायतीराज विभाग-3 **लखनऊ : दिनांक- 10 मई, 2022**

विषय: स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) फेज-II के अन्तर्गत चिन्हित ग्रामों को ओ.डी.एफ. प्लस करने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-1040/33-3-2021-116/2020 दिनांक 22 जून, 2021 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे, जिसके माध्यम से स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण फेज II अन्तर्गत गांवों को ओ.डी.एफ. प्लस किये जाने के निर्देश दिए गए हैं। इसी क्रम में प्रदेश के चिन्हित ग्रामों में ठोस व तरल अपशिष्ट प्रबंधन के कार्य कराते हुए संतृप्त कर आदर्श ओ.डी.एफ. प्लस गांव घोषित किया जाना है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन के कार्य किए जाने हेतु 5000 से अधिक आबादी वाले ग्रामों की ग्राम पंचायतों को प्राथमिकता पर संतृप्त किए जाने का निर्णय लिया गया है। इन ग्राम पंचायतों के समस्त राजस्व ग्रामों को सम्मिलित किया गया है। इस प्रकार प्राथमिकता पर प्रदेश की कुल 3582 ग्राम पंचायतों के 4723 राजस्व ग्रामों (3751 गांव 5000 से अधिक आबादी एवं 972 गांव 5000 से कम आबादी वाले) की जनपदवार सूची संलग्न है। इन 3582 ग्राम पंचायतों की कुल आबादी 35004017 (प्रोजेक्टेड-2021) है।

2- स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण फेज II अन्तर्गत पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्गत गाइडलाईन्स के अनुसार वित्तीय प्राविधान निम्नवत् हैं :-

मद	वित्तीय प्रावधान	
	गाँव का आकार	वित्तीय प्रावधान
ग्राम स्तरीय एस.एल.डब्ल्यू. एम. गतिविधियां	5000तक जनसँख्या	ठोस कचरा प्रबंधन: रू. 60/- व्यक्ति
		ग्रे वाटर प्रबंधन रू. 280/- व्यक्ति
	5000से अधिक जनसँख्या	ठोस कचरा प्रबंधन: रू. 45/- व्यक्ति
		ग्रे वाटर प्रबंधन रू. 660/- व्यक्ति
	टिप्पणी इस राशि का 30 % भाग ग्राम पंचायतों द्वारा अपने 15 वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान से वहन किया जायेगा।	

1. ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन के अन्तर्गत अनुमन्य कार्यों की सूची निम्नवत् है :-

- सामुदायिक खाद गड्ढे/व्यक्तिगत खाद गड्ढे
- नाडेप कम्पोस्टिंग, वर्मी कम्पोस्टिंग, विन्ड्रो कम्पोस्टिंग आदि
- कूड़ा पात्र
- अपशिष्ट एकत्रीकरण वाहन (ई-रिक्शा/ट्राई साइकिल)
- सेग्रीगेशन शेड/मैटेरियल रिकबरी सेन्टर इत्यादि

2. तरल अपशिष्ट प्रबन्धन के लिए अनुमन्य कार्यों की सूची निम्नवत् है :-

- सामुदायिक सोख्ता गड्ढे/व्यक्तिगत सोख्ता गड्ढे
- वेस्ट इस्टेबलाईजेशन पोण्ड
- रीड वेड, डिवाट्स, फाइटोरिड तकनीक इत्यादि ।
- सिल्ट/फिल्टर चैम्बर
- किचन गार्डन

3- ओ0डी0एफ0 प्लस गतिविधियों में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन का क्रियान्वयन कराया जाना योजना का महत्वपूर्ण घटक हैं। मार्ग पर एक प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट यूनिटनिर्देशिका के अनुसार प्रत्येक विकास खण्ड-पी)0डब्लू0एम0यू0) की स्थापना विकास खण्ड स्तर पर की जानी है।

4- ओ.डी.एफ. प्लस की प्राप्ति के लिए ग्राम पंचायतें निम्न योजनाओं के मदों में उपलब्ध धनराशि का प्रयोग कर सकती हैं :-

- स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण
- केन्द्रीय वित्त आयोग
- राज्य वित्त आयोग
- मनरेगा
- परफार्मेंश ग्रान्ट
- पुरस्कार की धनराशि
- स्वयं की आय
- सांसद/विधायक निधि
- सी.एस.आर. मद।

5- उक्त के अतिरिक्त योजना के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु राज्य स्तर से तैयार टेकनीकल गाइडलाइन पूर्व में ही जनपदों को प्रेषित की गयी हैं। टेक्निकल गाइडलाइन का यथा आवश्यक उपयोग करने के साथ-साथ शासन के कार्यालय संख्या-974(1)33-3-2021-974/21 दिनांक 19 जुलाई ,2021 द्वारा पूर्व से नामित की रिसोर्स सेन्टर, इंडियन डेवलपमेंट सेंटर, गौतमबुद्ध नगर के सहयोग से जनपद बुलंदशहर में ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबन्धन के विभिन्न माडलों को समझने हेतु एक्सपोजर विजिट भी आयोजित कराया जा रहा है। गांवों को ओ.डी.एफ. प्लस बनाने हेतु जनपदों द्वारा विभिन्न तकनीकों का प्रयोग करते हुए नए इनोवेशन भी किए जा सकते हैं।

6- उक्त वर्णित अपशिष्ट के अतिरिक्त गाँव में पशुपालन की प्रथा है जिससे अत्यधिक मात्रा में गोबर उत्सर्जित होता है जिसके प्रबंधन की भी आवश्यकता है। गोबरधन योजना के जनपदों में क्रियान्वित हेतु मिशन निदेशक के पत्र संख्या5/1575/2020-5/25/2018 दिनांक 09.12.2020 के माध्यम से परियोजना के सम्बन्ध में अवगत कराते हुए आपकी अध्यक्षता में गोबरधन सेल का गठन किया गया है। वार्षिक लक्ष्य के अनुसार प्रत्येक जनपद में गोबरधन योजना का क्रियान्वयन किया जाना है। योजना के क्रियान्वयन हेतु प्रति जनपद सामुदायिक मॉडल के लिए रू.50/- लाख की धनराशि योजना मद से अनुमन्य है। सामुदायिक मॉडल अन्तर्गत सरकारी गोवंश आश्रय स्थल को गोबर धन परियोजना के लिए प्राथमिकता दी जानी है। एस.बी.एम.जी. की रू.50/- लाख के अतिरिक्त आवश्यक धनराशि की व्यवस्था नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार के न्यू नेशनल वायोगैस एण्ड आर्गेनिक मैन्यौर प्रोग्राम (NNBOMP) व जिला/क्षेत्र/ग्राम पंचायत को उपलब्ध वित्त

आयोग की टाईड ग्रान्ट की धनराशि से की जाएगी। गोवर धन योजना अंतर्गत निर्मित वायो गैस प्लांट से उत्पन्न स्लरी/वायो गैस के विपणन से अर्जित आय से परियोजना के रख-रखाव एवं संचालन हेतु आवश्यक मैन पॉवर की व्यवस्था की जाएगी।

7- ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन हेतु पूर्व में 57 जनपदों के 6390 ग्रामों को रू.20897.82 लाख की धनराशि की वित्तीय लिमिट सम्वंधित ग्राम पंचायतों के खातों में प्रदान की गयी है उनके कार्य यथावत पूर्ण कराये जायेंगे। यदि वह ग्राम इस पत्र के संलग्रक ग्रामों में सम्मिलित हैं तो पूर्व में निर्धारित की गयी लिमिट एवं संतृप्त किए जाने हेतु आवश्यक धनराशि में समायोजित कर ली जाएगी।

8- स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अन्तर्गत वर्ष 2022-23 में ओ.डी.एफ. प्लस की उपलब्धि के लिए लक्षित ग्रामों की सूची संलग्नक-1 पर है। इन्हें ओ.डी.एफ. प्लस घोषित करने के लिए आवश्यक धनराशि 2446.32 करोड़ का ग्राम पंचायतवार व जनपदवार सूचना संलग्नक में दी गयी है, जिसमें स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण से 1712.42 करोड़ की अनुमन्यता बनती है। राज्य स्तर से तथा जनपद स्तर से इस सूचना के अनुसार ही सी.सी.एल. इन ग्राम पंचायतों, जिसके अनुसार सी.सी.एल. उपलब्ध करायी जाएगी। ग्राम पंचायतें सम्वन्धित ग्रामों को ओ.डी.एफ. प्लस करने के लिए संलग्नक के कॉलम-9 में उल्लिखित धनराशि के सापेक्ष अपनी कार्य योजना वनाकर उसका अनुमोदन जिला स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण ग्रान्ट कमेटी (जिला स्वच्छता समिति) में प्राप्त करेंगी। कार्यों की प्रशासनिक, तकनीकी व वित्तीय स्वीकृति पंचायती राज विभाग में निर्धारित व्यवस्था, जो शासनादेश संख्या-2350/33-3-2021-2257/2021 दिनांक 16.12.2021 के अनुसार स्तरवार की जाएगी।

9- इस सम्वन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार तथा शासन स्तर से समय-समय पर निर्गत निर्देशों व वित्तीय नियमों का अनुपालन करते हुए संलग्न विवरण के अनुसार ग्रामों को ओ.डी.एफ. प्लस घोषित करने हेतु आवश्यक कार्यों को पूर्ण करने की कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

संलग्नक -यथोक्त।

भवदीय

(मनोज कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या व दिनांक:- तदैव।

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. सचिव, पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।

2.निदेशक, पंचायती राज/मिशन निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण), उत्तर प्रदेश।

3.समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।

4.समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

5.समस्त मण्डलीय उप निदेशक (पं0), उत्तर प्रदेश।

6.समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

7.समस्त खंड विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
10.5.22
(मनोज कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव।